न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 20/2019

दायर दिनांक: 09.07.2019

निर्णय दिनांक 12.07.2022

—:अनवान:—

1. श्री इन्दरलाल पिता मदनलाल जाति महाजन उम्र 60 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
2. राकेश कुमार पिता मदनलाल जाति महाजन उम्र 48 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्रीमती कुसुमलता पत्नी प्रमोद कुमार जाति महाजन उम्र 51 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
4. विशाल पिता प्रमोद कुमार जाति महाजन उम्र 30 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
5. राहुल पिता प्रमोद कुमार जाति महाजन उम्र 27 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

—— अपीलार्थीगण

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

—— रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कुम्भलगढ़ नामान्तरकरण संख्या 1870 निर्णय दिनांक 05.05.1993

उपस्थित:—

1— श्री डालचन्द मेघवाल, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। राजस्व ग्राम केलवाडा, पटवार हल्का केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 3589 रकबा 12 बिश्वा भूमि घासीलाल पिता दलीचन्द महाजन निवासी केलवाडा के खातेदारी हक अधिकार की थी। उक्त भूमि में से 10 बिश्वा भूमि को घासीलाल पिता दलीचन्द महाजन ने आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया। जिसके संपरिवर्तन आदेश क्रमांक प ( ) राजस्व/92/पत्रा. सं. 6/92 दिनांक 12.08.1992 से नामान्तरकरण संख्या 1870 दिनांक 05.05.1993 फैसल कर उक्त भूमि को आबादी बिलानाम दर्ज कर खातेदार का नाम जमाबंदी से हटा दिया गया। जो अवैध एव विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 1870 दिनांक 05.05.1993 को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स का नाम खातेदार के रूप में अंकित करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम केलवाडा, पटवार हल्का केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 3589 रकबा 12 बिश्वा भूमि घासीलाल पिता दलीचन्द महाजन निवासी केलवाडा के खातेदारी हक अधिकार की थी। उक्त भूमि में से 10 बिश्वा भूमि को घासीलाल पिता दलीचन्द महाजन ने आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया। जिसके संपरिवर्तन आदेश क्रमांक प ( ) राजस्व/92/पत्रा. सं. 6/92 दिनांक 12.08.1992 से नामान्तरकरण संख्या 1870 दिनांक 05.05.1993 फैसल कर उक्त भूमि को आबादी बिलानाम दर्ज कर खातेदार का नाम जमाबंदी से हटा दिया गया। जो अवैध एव विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरक़रण संख्या 1870 दिनांक 05.05.1993 को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स का नाम खातेदार के रूप में अंकित करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक प ( ) राजस्व/92/पत्रा. सं. 6/92 दिनांक 12.08.1992 की अनुपालना में राजस्व ग्राम केलवाडा, पटवार हल्का केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 3589 रकबा 12 बिश्वा भूमि में से 10 बिश्वा भूमि का रूपान्तरण किया गया। जिसे खातेदार के नाम के स्थान बीलानाम आबादी भूमि के रूप में दर्ज कर नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं। न्यायहित में प्रकरण में नामांतरण संख्या 1870 दिनांक 05.05.1993 को अपास्त कर पुनः नियमानुसार जॉच कार्यवाही की जाकर प्रकरण का नये सिरे से विधिक प्रक्रिया से निस्तारण किया जाना विधिसम्मत हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पादित नामांतरण संख्या 1870 दिनांक 05.05.1993 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, कुम्भलगढ को प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जरवेशन व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त नामांतरण के संबंध में विधिक प्रक्रियानुसार नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित करें।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)